दिनांक– 23.10.2018 (मंगलवार) को 12.00 बजे मध्याह्न में विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष, जाँच समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में सम्पन्न लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या–592 (वर्ष 2010–11) की कंडिका संख्या 3.4 एवं प्रतिवेदन संख्या 593 वर्ष 2010–11 की कंडिका संख्या 3.3.4.1, 3.3.4.2 तथा 3.3.4.3 एवं वर्ष 2011–12 की कंडिका संख्या– 5.1.3, 5.1.4, 5.2.6 एवं 5.3.6 तथा वर्ष 2012–13 की कंडिका 3.2.1 एवं 3.2.2 में सन्निहित अनुशंसाओं के अनुपालन से संबंधित जाँच समिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

बैठक की उपस्थिति :–

श्री राधेश्याम साह, विशेष सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार–सह–अध्यक्ष, जाँच समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
श्री आर0 डी0 रंजन, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण), स्वा0 सेवायें, बिहार–सह–सदस्य, जाँच समिति, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना।
श्री शिवनन्दन प्रसाद, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार –सह–सदस्य, जाँच समिति, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना।
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार–सह–सदस्य, जाँच समिति, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना।
श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक (ड्रग्स), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार–सह–सदस्य, जाँच समिति, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना।

(अन्य उपस्थिति से संबंधित विवरणी संलग्न)।

बैठक में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या– 592 एवं 593 में सन्निहित अनुशंसाओं के अनुपालन के संबंध में समीक्षोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र0 सं0	प्रतिवेदन संख्या/ कार्यालय का नाम	विषय	अनुपालन	अभियुक्ति
1.	07/2005–06 प्रा0स्वा0के0, बेगुसराय	रुपये 23358 का गबन	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक– 339 दि0– 13.02.18 द्वारा अनुपालन प्रेषित किया गया है। यह विषय लिपीकीय त्रुटि के कारण है जिसका सुधार रोकड़ पुस्त में कर लिया गया है। (छायाप्रति संलग्न।	अनुपालन में वर्णित तथ्यों के आलोक में इस संबंध में अन्य किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
2.	95/2005–06 प्रा0 स्वा0 केन्द्र,	श्रीमती आशा कुमारी, श्रीमती मंजु कुमारी, श्रीमती शांति कुमारी, सुमित्रा	पत्रांक– 83 दिनांक– 22/02/2018 द्वारा श्रीमती	पूर्व बैठक में सिविल सर्जन, किशनगंज को

	दिघल बैंक, किशनगंज	कुमारी, ए0एन0एम0 की फर्जी नियुक्ति की गई, क्यांकि इन सभी का Registration गलत पाया गया और फर्जी नियुक्ति पर वेतन भुगतान रुपये 21,89,199.05 का गबन पाया गया।	आशा कुमारी, श्रीमती शांति कुमारी, सुमित्रा कुमारी के विरुद्ध FIR दर्ज प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दिघल बैंक द्वारा दर्ज किया गया छायाप्रति संलग्न तथा तत्कालीन लिपिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विरुद्ध जी0आर0 34/91 मामला दर्ज है (छायाप्रति संलग्न)।	गबन की राशि की वसूली हेतु सात दिनों के अन्दर सर्टिफिकेट केश करने तथा इस संदर्भ में किये गये FIR की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया। सिविल सर्जन, किशनगंज द्वारा वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है। उन्हें एक सप्ताह के अंदर अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंतिम रुप से निदेशित किया गया। साथ ही दिनांक– 27.11.2018 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया था।
3.	96/2005–06 प्रा0स्वा0के0, कोचाधाम, किशनगंज	फर्जी बहाली कर रुपये 3,02,256 का भुगतान कर राशि का गबन	फर्जी बहाली एवम् सरकारी राशि के गबन के लिए मो0 बदीउजमा की सेवा कार्यालय ज्ञापांक 1251 दिनांक– 16.10.2014 द्वारा समाप्त। सिविल सर्जन के द्वारा रुपये 302256 के वसूली के लिए प्राथमिकी	पूर्व बैठक में सिविल सर्जन, किशनगंज को गबन की राशि की वसूली हेतु सात दिनों के अन्दर सर्टिफिकेट केश करने तथा इस संदर्भ में किये गये FIR की अद्यतन

26/11/18

			दर्ज करने का आदेश दिया गया (छायाप्रति संलग्न)।	स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया। सिविल सर्जन, किशनगंज द्वारा वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है। उन्हें एक सप्ताह के अंदर अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंतिम रुप से निदेशित किया गया था। साथ ही दिनांक– 27.11.2018 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
4.	111/2005–06 प्रा0स्वा0के0, मुजफ्फरपुर	कुल रुपये 2.54 लाख का दुर्विनियोग अवशेष राशि को एक वर्ष से अधिक दिनों तक रखना	तत्कालीन रोकड़पाल द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त ससमय प्रभार नहीं सौंपा गया था। श्री चौधरी ने दिनांक– 26.07.02 को अंतः शेष राशि के रुप में रुपये 254630.65 पैसा का प्रभार सौंप दिया। 28/8/18 26/7/18	पूर्व बैठक में सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को तत्कालीन रोकड़पाल के विरुद्ध सात दिनों के अंदर कार्रवाई कर अवगत कराने का निदेश दिया गया था। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर से अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया है

				कि 3(तीन) दिनों के अन्दर अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन भेजे अन्यथा उनके विरुद्ध प्रपत्र–'क' गठित किया जाएगा। साथ ही दिनांक– 27.11.2018 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
5.	10/2009–10 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बाबूबरही, मधुबनी	(क) रुपये 11.56 लाख का फर्जी भुगतान दिखाकर दुर्विनियोग (ख) निम्न व्यक्तियों को 9.67 लाख रुपये दिखाकर दुर्विनियोग। (1) श्री भगवानजी स्वामी – 200000 (2) श्रीमति सुनिता देवी – 55400 (3) किरण – 411600 (4) श्री भगवानजी स्वामी – 300000 967000	महालेखाकार, बिहार का पत्रांक– 1–C II –219 दिनांक– 06.07.2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 4(क) एवं पत्रांक– 589 दिनांक– 02.08.12 द्वारा 4(ख) को विलोपित किया गया है।	महालेखाकार, बिहार के द्वारा इस कंडिका को विलोपित किया है, अतएव इस संबंध में अन्य किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
6.	221/2009–10 जिला स्वास्थ्य	2.52 लाख रुपये श्री सुनील कुमार, लिपिक द्वारा राशि निकाल कर अपने	महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक IC-II-145 दिनांक–	महालेखाकार, बिहार के द्वारा इस कंडिका को

	केन्द्र, साहेबपुर कमाल, बेगुसराय	पास रखना और अंकेक्षण अवधि तक जमा नहीं करना	21.06.2010 द्वारा इसे विलोपित किया गया है।	विलोपित किया है, अतएव इस संबंध में अन्य किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
7.	332/09–10 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मोकामा, पटना	**<u>0.85 लाख गबन</u>** (1) T.V.N 23/31.03.08 द्वारा रुपये 17986 की राशि निकाली गई लेकिन रोकड़ पुस्त में रुपये 16856 दिखाया गया। अतः रुपये 1118=00 गबन (2) T.V.N 41/25.03.09 द्वारा रुपये 32100 निकाला गया, लेकिन रोकड़ पुस्त में दर्ज नहीं है। (3) रुपये 55345=00 का अधिक व्यय दिखाकर राशि का गबन 1118.00 32100.00 52345.00 ———————— **85,553.00**	अनुपालन प्रेषित किया गया तथा समिति द्वारा मूल रोकड़ पुस्त की मांग की गई। तदोपरान्त समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा। 284(8) 26/7/2018	रोकड़पुस्त का अवलोकन किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसमें सुधार कर लिया गया है। (2) इससे संबंधित रोकड़पंजी से मिलान/जाँच की गयी एवं सही पाया गया। (3) इससे संबंधित रोकड़पंजी से मिलान/जाँच की गयी एवं सही पाया गया। तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदा0 एवं रोकड़पाल, पी0एच0सी0, मोकामा दोनों सेवानिवृत्त भी हो चुके है।

8.	519/2009–10 सिविल सर्जन, सीतामढ़ी	**(क) राशि भुगतान के बावजूद दवा आपूर्ति नहीं होने के कारण रुपये 19.12 लाख की हानि।** (ख) दवा कम आपूत्ति किये जाने के कारण रुपये 1.35 लाख की हानि। **(ग) दवा expired के कारण रुपये 2.29 लाख की हानि।**	कितना दवा की आपूर्त्ति की गई एवं कितनी राशि चालान द्वारा जमा की गई। इनसभी के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन अपेक्षित है।	पूर्व में रोकड़पुस्त की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है। पूर्व बैठक में पूर्ण एवं स्पष्ट प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। पूर्व बैठक में दोषी कर्मियों के विरुद्ध FIR की अद्यतन स्थिति से सात दिनों के अन्दर अवगत कराने का निदेश दिया गया था जिसका अनुपालन नहीं किया गया। वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है तथा सिविल सर्जन, सीतामढ़ी इस बैठक में अनुपस्थित है। सिविल सर्जन, सीतामढ़ी से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछने तथा उनके एक दिन का वेतन स्थगित करने हेत क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुजफ्फरपुर

2848
26/11/2018

				प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया। साथ ही दिनांक– 27.11.18 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों/ साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
9.	732/2009–10 जिला स्वा0 समिति, खगड़िया	**सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा रुपये 25,38,228/– की निकासी कर B/D** के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति खगड़िया को भुगतान नहीं किया गया। अतः 25.38 लाख राशि का दुर्विनियोग किया गया।	पत्रांक– 199 दिनांक– 06.03.18 के द्वारा सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति ने अपने अनुपालन प्रतिवेदन में रुपये 25.38 लाख की राशि के समायोजित बताया। अतः आपत्ति विलोपित की जा सकती है।	सिविल सर्जन, खगड़िया द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। किन्तु मिलान हेतु संबंधित रोकड़पुस्त नहीं दिखाई गई। सिविल सर्जन, खगड़िया को अपने तथा जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया की रोकड़पुस्त तथा उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक– 27.11.18 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।

28/8/ 26/11/2018

2. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 593 वर्ष 2010–11 :–

क्र0 सं0	कंडिका संख्या	संबंधित पदाधिकारी का नाम	विषय	अनुपालन	अभियुक्ति
1.	3.3.4.1	रोहतास, मधुबनी एवं बेगुसराय कार्यालय द्वारा रुपया 58.54 लाख के दवाओं का आपूर्त्ति नहीं	दवाओं के क्रय के लिए रुपये 3.26 करोड़ का अनाधिकृत अग्रिम।	प्रशाखा–9 द्वारा निम्नांकित कर्मियों पर कार्रवाई की गई है :– 1) डा0 शिवानन्द सिंहा– आरोपमुक्त 2). डा0 रामनगीना प्रसाद सिंह – अधिगम प्राप्त अंतिम निर्णय लेने हेतु संचिका उपस्थापित। 3). डा0 सोनेलाल अकेला – द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। 4). डा0 अशोक कुमार सिन्हा – 10 प्रतिशत पेंशन कटौती का दंड 5). डा0 प्रतिमा मोदी – विभागीय कार्रवाई संचालित अधिगम प्राप्त। चेतावनी कर सजा के साथ आरोप मुक्त। 6). डा0 गणेश महतो – चेतावनी की सजा के साथ आरोपमुक्त।	पूर्व बैठक में सिविल सर्जन, रोहतास को इस मामले में सात दिनों के अन्दर सर्टिफिकेट केश तथा FIR करने का निदेश दिया गया था जिसका अनुपालन नहीं किया गया। सिविल सर्जन, रोहतास को सर्टिफिकेट केश तथा FIR दायर कर तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। पूर्व बैठक में प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा पदा0–9 को कंडिकावार दोषी चिकित्सकों के नाम सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है जिसे एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु

				7). डा0 उचित लाल मंडल – संवा से बर्खास्त।	निदेशित किया गया। साथ ही संबंधित सभी पदाधिकारियों को दिनांक–27.11.18 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
2.	3.3.4.2	असैनिक शल्य चिकित्सक वैशाली	निधि का अविवेकपूर्ण प्रत्यर्पण और दवाओं के अनियमित क्रय पर 70.90 लाख का व्यय।	वही	पूर्व बैठक में प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदा0–9 को कंडिकावार दोषी चिकित्सकों के नाम सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है जिसे एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–9 को दिनांक–27.11.2018 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।

284 (8)
26/11/2018

3.	3.3.4.3	असैनिक शल्य चिकित्सक, भागलपुर द्वारा अनुमोदित दर से अधिक दर पर खरीद कर रुपये 24.05 लाख का अधिक भुगतान	स्थानीय क्रय पर अधिक भुगतान के परिणामस्वरुप रुपये 24.05 लाख का अधिक भुगतान।	वही	पूर्व बैठक में प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदा0–9 को कंडिकावार दोषी चिकित्सकों के नाम सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है जिसे एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–9 को दिनांक–27.11.2018 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।

3. <u>लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 593 वर्ष 2011–12 :–</u>

क्र0 सं0	कंडिका संख्या	संबंधित पदाधिकारी का नाम	विषय	अनुपालन	अभियुक्ति
1.	5.1.3	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ	एक ही समान/उपकरण/ दवाओं का दोबारा भुगतान कर रुपये 4.78	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा अनुपालन में बताया गया कि	सिविल सर्जन, पूर्णियाँ द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसे स्वीकार किया जा सकता

			लाख का कपटपूर्ण भुगतान।	4.82 लाख रुपये चालान के द्वारा जमा किया गया। दुबारा भुगतान लिपिकीय भूल के कारण हुआ है जिसके लिए लिपिक का स्थानान्तरण करते हुए विभागीय कार्रवाई करने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है।	है। पूर्व बैठक में प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदा0–9 को सात दिनों के अंदर कंडिकावार दोषी चिकित्सकों के नाम सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है जिसे एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–9 को दिनांक–27.11.18 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
2.	5.1.4	अधीक्षक पी0एम0सी0एच0, पटना	निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन नहीं करने एवं अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण AHF VIII दवा का उच्चतर दर पर क्रय करने के परिणामस्वरुप रुपये 97.20 लाख की	एन्टी हेम्योफिलिक फैक्टर–VIII (A.H.F- VIII) दवा की निविदा में Reliance Company का दर न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित किया गया, किन्तु इसे विभागीय अध्यक्ष, औषधि विभाग के अनुशंसा के अनुरुप	अधीक्षक पी0एम0सी0एच0, पटना को दवा के क्रय संबंधी दोनों संविदाओं से संबंधित संचिका तीन दिनों के अंदर जाँच हेतु उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

			हानि।	नहीं होने के कारण पुनः निविदा में Baxter (Ind) Pvt. Ltd. के दर रु0 3850/– प्रति भायल को अनुमोदित किया गया। उल्लेखनीय है कि क्रय हेतु अनुमोदित दर रु0 3850/– प्रति भायल Baxter (Ind) Pvt. Ltd. द्वारा निर्मित दवा दूसरी विशिष्टी का है, दो अलग–अलग विशिष्टियों की दवा के दर में भिन्नता स्वाभाविक है।	साथ ही अधीक्षक पी0एम0सी0एच0, पटना को को दिनांक– 27.11.18 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
3.	5.2.6	सिविल सर्जन, भागलपुर, गया, कैमूर, मधुबनी, समस्तीपुर एवं वैशाली द्वारा अनुमोदित दर से अधिक दर अनाधिकृत ऐजेन्सियों से दवाओं एवम् उपकरणों के क्रय पर अधिक भुगतान	दवाओं एवं उपकरणों की अनियमित क्रय पर रुपये 1.33 करोड़ का अधिक भुगतान।	प्रशाखा–9 से अनुपालन प्रतिवेदन की माँग की गई जो सम्प्रति अप्राप्त है।	पूर्व बैठक में प्रभारी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी– 09 को इस मामले में शीघ्र विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया था। वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है जिसे पुनः एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–9 को दिनांक– 27.11.18 को 12:00 बजे

					मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
4.	5.3.6	राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार	आठ जिलों में बिना गुणवत्ता परीक्षण के रुपये 25.07 करोड़ के दवाओं का क्रय एवं वितरण।	राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार द्वारा पूर्व में अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।	राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में वर्णित विषयाधीन आठ जिलों में अवमानक स्तर की औषधियों के विनिर्माण एवं सरकारी अस्पतालों में आपूर्त्ति हेतु औषधि निर्माताओं एवं अन्य संबंधितों के विरुद्ध जिला न्यायालय में दायर अभियोजनों की अद्यतन स्थिति तथा अवमानक औषधियों से संबंधित शेष दोषियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई से एक सप्ताह के अंदर अवगत कराने हेतु राज्य औषधि नियंत्रक को निदेशित किया गया। पूर्व बैठक में प्रभारी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी– 09 को इस मामले में शीघ्र विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ कर कृत

2/8/18
26/1/2018

					कार्रवाई से अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया था। वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है जिसे पुनः एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी–9 को दिनांक–27.11.18 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में संबंधित अभिलेखों / साक्ष्यों के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।

4. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 593 वर्ष 2012–13 :–

क्र0 सं0	कंडिका संख्या	संबंधित पदाधिकारी का नाम	विषय	अनुपालन	अभियुक्ति
1.	3.2.1	अधीक्षक, श्री गुरुगोबिंद सिंह अस्पताल, पटनासिटी	श्री गुरुगोबिंद सिंह अस्पताल, पटनासिटी भवन के अन्दर एवम प्रांगण के सफाई हेतु बिना एकरारनामा करने अप्रर्याप्त अनुश्रवण एवं एजेंसी के समुचित	अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त।	पूर्व बैठक में जिला पदाधिकारी, पटना को जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु पुनः स्मारित किया गया था। वांछित जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अतएव पुनः

			सत्यापन किए बिना रुपये 70.78 लाख का अधिक भुगतान		सात दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही अधीक्षक, गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी को दिनांक– 27.11.18 को 12:00 बजे मध्याह्न में आहुत बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
2.	3.2.2	कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।	बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के प्रावधान का अनुपालन नहीं होने, वित्तीय प्रबंधन के परिचालन में दिशा–निर्देशों का उल्लंघन और व्यय के दौरान कड़ी मितव्ययिता लागू नहीं करने के कारण रुपये 1.20 करोड़ का परिहार्य एवं अधिक भुगतान हुआ।	वित्त विभाग के पत्रांक–1349(वित्त) दिनांक– 11.02.2013 में उल्लेखित है कि Motor Vichele Act 1988 के नियम 146(3) के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति को Govt. नहीं माना जा सकता है और न ही State transport authority माना जा सकता है। अतएव राज्य स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत संचालित वाहन को बीमामुक्त नहीं किया जा सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा एम्बुलेंस की मरम्मति हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अतः आतुर वाहन का	विभागीय पत्रांक 48(8) दिनांक– 02.02.15 द्वारा लोक लेखा समिति को समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में इसपर अन्य किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

284(8)
2/12/18

				comprehensive Insurence कराना अनिवार्य था जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति शासी निकाय (Appex body) से प्राप्त है। आतुर वाहन का क्रय निबंधन एवं बीमा पैकेज के तहत की गई थी। जिसके अनुसार पथकर एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान कम्पनी द्वारा ही किया गया था।	

ह0/–
(मनीष रंजन)
सहायक निदेशक (ड्रग्स),
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

ह0/–
(अनिल कुमार श्रीवास्तव)
वित्त प्रबंधक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

ह0/–
(शिवनन्दन प्रसाद)
सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ह0/–
(डॉ0 आर0 डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएें, बिहार, पटना।

ह0/–
(राधेश्याम साह)
विशेष सचिव–सह– अध्यक्ष, जाँच समिति,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

284 (8)
26/11/18

ज्ञापांक– 2848 पटना, दिनांक – 26/11/2018

प्रतिलिपि – कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/उप सचिव, प्रभारी पदा0– 09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/बेगुसराय/पूर्णियाँ/किशनगंज/मुजफ्फरपुर/मधुबनी/खगड़िया/सीतामढ़ी/रोहतास/वैशाली/भागलपुर/गया/कैमूर/समस्तीपुर/नालन्दा/शेखपुरा/सिवान/ अधीक्षक, गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल, पटनासिटी/ सहायक निदेशक(ड्रग्स), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/ प्रबंधक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डुमरा, सीतामढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ii) विशेष सचिव–सह–आंतरिंक वित्तीय सलाहकार–सह–अध्यक्ष, जाँच समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/श्री सुधीर कुमार, उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/डॉ0 आर0 डी0 रंजन, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/श्री शिवनन्दन प्रसाद, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, बिहार, पटना/श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, वित्त प्रबन्धक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना तथा श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक (ड्रग्स), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/18

विशेष सचिव–सह– अध्यक्ष, जाँच समिति,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।